न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 22/2013

प्रार्थी :-

1. प्रहलादसिंह पुत्र भंवरसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-बलाडा,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भंवरसिंह पुत्र दलपतसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. सुमेरसिंह पुत्र भवंरसिह
4. टवर कंवर पुत्री भंवरसिह
   जातियान-राजपूत, निवासीगण-बलाडा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
5. तहसीलदार जैतारण
6. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण
7. पटवारी पटवार हल्का बलाडा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 01/02/2013

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता,

-:: निर्णयः- दिनॉकः 24/06/2015

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा-बलाडा, पटवार क्षेत्र-बलाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नंबर 1146/8 रकबा 28 बीघा 4 बीस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1146/9 रकबा 17 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1146/10 रकबा 8 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा तीन कुल रकबा 53 बीघा 10 विस्वा की कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसमें सायल का 1/5 वां हिस्सा कृषि आराजी आई हुई हैं। सायल मौके पर कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068 व नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न हैं, जो इसका एक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। मुतदाविया आराजी में सायल का 1/5वां हिस्सा व गैरसायल संख्या 1 से 4 तक कमश 1/5-1/5-1/5-1/5वां हिस्सा आता हैं। उक्त कृषि भूमि मौके पर मौखिक रुप सें बंटी हुई है। सायल व गैरसायलान काश्त करते हैं। सायल व गैरसायलान में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। सायल ने स्वयं के हिस्से की कृषि भूमि का सुधार कर उसे उच्च किस्म की कृषि आराजी बना कर उन्नत फसल उगाना चाहता हैं। सायल के कब्जे काश्त में गैरसायलान दस्तदांजी व दखलन्दाजी करते हैं। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगी। इसलिये सायल के कब्जे काश्त में गैरसायलान व उनके नौकर चाकर, वारिसान, हाली एजेन्ट आदि को हमेशा-हमेशा के वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हैं। सायल की मौके पर फसल बोई हुई हैं। गैरसायलान को सायल ने बाई मिटस एण्ड बाउण्डस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाडा करने को कहा, तो गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी दी कि उसको मौके से बेदखल कर दिया जायेगा तथा जमीन का बेचान कर दिया जायेगा। सायल संख्या एक ही हैं तथा गैरसायलान संख्या व शक्ति में ज्यादा होने के कारण बहुबल के आधार पर सायल को उक्त मुतदाविया आराजी से बेदखल करना चाहते हैं तथा सायल की कृषि आराजी का अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। गैरसायल संख्या 5 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर होने से यह तकासमा आराजी का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। गैरसायल संख्या 5, 6, 7 जो कि सरकारी नुमायन्दे होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी का बिना नोटिस दिये ही यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं तथा धारा 80(2) सीपीसी का उक्त वाद-पत्र के साथ में अलग से पेश किया गया हैं, जो अनुमति दी जाना आवश्यक हैं। सरहद मौजा-बलाडा, पटवार हल्का-बलाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 1146/8 रकबा 28 बीघा 04 बीस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1146/9 रकबा 17 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1146/10 रकबा 08 बीघा 06 बीस्वा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा तीन कुल क्षेत्रफल 53 बीगा 10 बीस्वा आई हुई हैं। जिसमें से सायल का 1/5 वां हिस्सा आया हुआ हैं, जिस पर सायल का कब्जा काश्त हैं तथा उक्त मुतदाविया आराजी सयुक्त हिन्दू मुर्स्तफा खानदान की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि हैं। सायल उक्त मुतदायिया आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं। अतः प्रथम दृष्टिया मामला भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित हैं तथा कब्जा होने के कारण सुविधा का सन्तुलन भी हर सूरत में सायल के पक्ष में हैं। यदि गैरसायलान द्वारा सायल को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर दिया गया, या उक्त कृषि आराजी का हस्तान्तरण अन्य को कर दिया गया, तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा जो किसी भी कदर संभव नहीं होगी। सायल की हक व हिस्से अनुसार कृषि आराजी में गैरसायल द्वारा दखलन्दाजी व दस्तदांजी करने से व उक्त मुतदाविया कृषि आराजी का अन्य हस्तान्तरण का पंजीयन एवं नामान्तरकरण आदि भरने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान को व उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट व वारिसान को दावें के निर्णय तक रोका जावें तथा आदेश को पुख्ता फरमाया जावें। अतः प्रार्थना पत्र शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात के पेश कर निवेदन हैं कि सायल के हक में अन्तरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी कर गैरसायलान को पांबद किये जाने का आदेश करावें तथा गैरसायलान को हमेशा-हमेशा के वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गै0सा0 को तबल किया गया। गै0सा0 संख्या 1 से 4 की ओर से श्री अरूणसिंह अधिवक्ता उपस्थित आए व वकालतनामा पेश किया। गै0सा0 संख्या 5 से 7 बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 04/03/2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गै0सा0 संख्या 1 से 4 की ओर से अनेक अवसरों के पश्चात् भी जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोन किया गया। गै0सा0 उपस्थित नहीं हैं। जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया हैं। बार-बार समय दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं करने से गै0सा0 का जबाब बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के साथ-साथ पटवारी हल्का से जमाबन्दी रेकर्ड की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया। मुताबिक रेकर्ड गै0सा0 संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने विवादित भूमियों का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया हैं, जिसका अमल दरामद भी हो चुका हैं। उक्त विवादित आराजियात का बेचान दिनांक 17/01/2013 को किया जा चुका हैं, जबकि यह प्रार्थना पत्र दिनांक 01/02/2013 को प्रस्तुत किया हैं। विवादित भूमि जिसके पक्ष में विक्रय की गई, उसे भी दिनांक 17/06/2013 को पुनः बेचान कर दिया गया हैं, जिसका अमल दरामद भी राजस्व रेकर्ड में हो चुका हैं, प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के तौर पर क्रेता को पक्षकार भी नहीं बनाया गया, जो कि एक आवश्यक पक्षकार था क्योंकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के दिनांक 01/02/2013 को विवादित भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण भंवरसिंह वगैरह नहीं थे। फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि नहीं रही थी, तो इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 01/02/2013 प्रभावहीन होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि नहीं रही थी, तो इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 01/02/2013 प्रभावहीन, सारहीन एवं तथ्यहीन होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलाड़ा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner